



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 430 राँची, सोमवार, 2 श्रावण, 1945 (श०)
24 जुलाई, 2023 (ई०)

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

अधिसूचना

18 जुलाई, 2023

पत्र संख्या: पर्य./यो.-40/2012 -----15--झारखण्ड पर्यटन विकास एवं निबंधन अधिनियम - 2015 की धारा 4(1) द्वारा प्रदत्त शक्ति के आलोक में झारखण्ड के राज्यपाल एतद् द्वारा “नेतरहाट पर्यटन विकास प्राधिकार** का गठन] संरचना] कार्यक्षेत्र] अधिकार कर्तव्य आदि) निम्नवत करते हैं:-

1] प्राधिकार का नाम] विस्तार एवं कार्यक्षेत्र:

(क.) इसका नाम नेतरहाट पर्यटन विकास प्राधिकार होगा ।

(ख.) इसका विस्तार लातेहार जिला के महुआडांड प्रखण्ड के नेतरहाट पंचायत क्षेत्र तक होगा। समय-समय पर आवश्यकतानुसार सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर कार्यक्षेत्र में परिवर्तन किया जा सकेगा ।

(ग.) इस प्राधिकार के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित नहीं आते हैं:-

(i) दान प्रकृति के लोक प्रयोजन के लिए प्रयुक्त परिसर या ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रस्तुत परिसर की कोई श्रेणी ।

- (ii) लोक न्यास द्वारा धार्मिक प्रयोजन के लिए धारित और नाम मात्र किराये पर दिये गये परिसर।
- (iii) लोक न्यास द्वारा धार्मिक या दान हित प्रयोजन के लिए धारित और स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्रशासित परिसर।
- (iv) सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्रबंध किया जा रहा या चलाया जा रहा विश्राम-गृह डाक बंगला, सर्किट हाउस निरीक्षण कुटीर] सराय या कोई संस्था अथवा परिसर।

2- परिभाषाएँ:- जबतक कि विषय या संदर्भ में कोई विरुद्ध बात न हो] इस अधिसूचना में ;

- (क.) “प्राधिकार” से अभिप्रेत है नेतरहाट पर्यटन विकास प्राधिकार;
- (ख.) “पर्यटक” से अभिप्रेत है झारखण्ड राज्य में यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों सहित, कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह;
- (ग.) “पर्यटन स्थल या प्रक्षेत्र” से अभिप्रेत है ऐसा प्रक्षेत्र स्थान] स्थल] नदी] तल] जलप्रपात] झील] झरना आदि जो राज्य सरकार द्वारा पर्यटक स्थल/प्रक्षेत्र घोषित किया जाए ;
- (घ.) “पर्यटन इकाई” से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समयसमय पर पर्यटकों को सुविधाएँ और सेवाएँ उपबंधित करने वाला कोई स्थापना यथा अधिसूचित जिसमें होटल] रिजॉर्ट] मोटल] समय शेयर इकाई] अपार्टमेन्ट] गृह नौका] मोटर कारवाँ] अतिथि गृह यात्री निवास] रेस्तराँ] शराब घर] आमोद-प्रामोद पार्क] थीम पार्क जल क्रीड़ा केन्द्र] वायु क्रीड़ा केन्द्र] साहसिक खेलकूद के लिए प्रशिक्षण संस्थान/पर्यटन उद्योग के लिए कारोबार करने वाले तथा सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित किसी अन्य प्रकार का स्थापना भी शामिल है ;
- (ङ.) “सुख-सुविधा” के अन्तर्गत सड़कें जल आपूर्ति] बाजार-सड़कों पर प्रकाश] जल निकास] मल प्रणाली] शौचालय] सूचना केन्द्र] उपहार दुकान] कूड़ा निष्पादन] बार] रेस्तराँ] होटल] मोटल] गोल्फ कोर्स] मनोरंजन पार्क, अतिथिशाला, विद्यालय, आवास, अस्पताल और मनोरंजन की विभिन्न सुविधाएँ तथा अन्य ऐसी सहूलियतें और सुविधाएँ, जिन्हें राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इसके के प्रयोजनार्थ सुख-सुविधा विनिर्दिष्ट करें;
- (च.) “विभाग” से अभिप्रेत है पर्यटन कला-संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार;
- (छ.) “सरकार” से अभिप्रेत है झारखण्ड सरकार
- (ज.) “स्थानीय प्राधिकरण” से अभिप्रेत है नगर निगम या नगरपालिका परिषद् या छावनी बोर्ड या नगर पंचायत या ग्राम पंचायत या क्षेत्र विशेष विकास प्राधिकरण;
- (झ.) “राजपत्र” से अभिप्रेत है झारखण्ड सरकार का राजपत्र;
- (ञ.) “विहित प्राधिकारी” से अभिप्रेत है सरकार द्वारा इस रूप में अधिसूचित प्राधिकारी;
- (ट.) “विनियम” से अभिप्रेत है प्राधिकार द्वारा बनाया गया विनियम

(ठ.) “गैर सरकारी निदेशक” से अभिप्रेत है इस अधिसूचना की कण्डिका - 6 के तहत नामित गैर सरकारी निदेशक;

नोट:- उन शब्दों का जिनका इस अधिसूचना में व्यवहार किया गया है, किन्तु जो इसमें परिभाषित नहीं किए गए हैं वही अर्थ होगा जो झारखण्ड पर्यटन विकास एवं निबंधन अधिनियम-2015 में उनके लिए दिया गया है।

3- इस प्राधिकार की संरचना निम्नवत होगी-

(i)	सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग, झारखण्ड	-	अध्यक्ष
(ii)	निदेशक, पर्यटन, झारखण्ड, राँची	-	निदेशक
(iii)	उपायुक्त, लातेहार	-	उपाध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
(iv)	वन प्रमंडल पदाधिकारी, लोहरदगा	-	निदेशक
(v)	उप निदेशक, पलामू ब्याघ्र परियोजना उत्तरी प्रमंडल	-	निदेशक
(vi)	उप निदेशक, पलामू ब्याघ्र परियोजना दक्षिणी प्रमंडल	-	निदेशक
(vii)	उप विकास आयुक्त, लातेहार	-	निदेशक
(viii)	अनुमंडल पदाधिकारी, महुआटाँड़	-	निदेशक
(ix)	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, महुआटाँड़	-	निदेशक
(x)	अंचल अधिकारी, महुआटाँड़	-	निदेशक
(xi)	गैर सरकारी निदेशक	-	निदेशक
(xii)	राज्य सरकार के उप सचिव स्तर/संयुक्त सचिव स्तर के पदाधिकारी	-	कार्यकारी निदेशक

4- राज्य सरकार द्वारा उप सचिव स्तर/संयुक्त सचिव स्तर के पदाधिकारी को इस प्राधिकार के कार्यकारी निदेशक के रूप में प्रतिनियुक्त किया जायेगा। कार्यकारी निदेशक के वेतन आदि का भुगतान विभाग (पर्यटन विभाग) से किया जायेगा व उन्हें वाहन की सुविधा प्राप्त होगी। राज्य सरकार के किसी उप सचिव/संयुक्त सचिव स्तर के पदाधिकारी को कार्यकारी निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी दिया जा सकेगा।

5- गैर सरकारी निदेशक:- विभाग द्वारा इस प्राधिकार हेतु अधिकतम 6 गैर सरकारी निदेशकों को नामित किया जा सकेगा:-

(क.) गैर सरकारी निदेशकों का नामित करना:- गैर सरकारी निदेशकों को विज्ञापन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित कर एक चयन समिति द्वारा अनुशंसा करने पर विभाग द्वारा दो वर्षों के लिए नामित किया जायेगा। चयन समिति द्वारा अनुशंसा करने पर इनकी कार्यावधि को विभाग द्वारा दो-दो वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकेगा। चयन समिति की संरचना निम्नवत होगी:-

(i)	सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवाकार्य विभाग, झारखण्ड	-	अध्यक्ष
(ii)	निदेशक, पर्यटन, झारखण्ड राँची	-	सदस्य
(iii)	उपायुक्त, लातेहार	-	सदस्य
(iv)	उप विकास आयुक्त, लातेहार	-	सदस्य
(v)	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि	-	सदस्य
(vi)	प्राचार्य, होटल प्रबंधन संस्थान, ब्राम्बे, राँची	-	सदस्य
(vii)	विभागाध्यक्ष, पर्यटन प्रबंधन विभाग, बी.आई.टी., मेसरा, राँची	-	सदस्य

(ख.) गैर सरकारी निदेशकों की पात्रता:- झारखण्ड राज्य में पर्यटन उद्योग अथवा पर्यटन व्यवसाय अथवा पर्यटन से संबंधित शिक्षा आदि क्षेत्र अथवा राज्य सरकार के पर्यटन विभाग/पर्यटन निगम में कम से कम 10 वर्ष का कार्य अनुभव प्राप्त स्नातक धारी जो किसी सरकारी पद पर/सरकार के अधीन किसी निगम में कार्यरत न हों। नेतरहाट/लातेहार के पर्यटन उद्योग/पर्यटन व्यवसाय से जुड़े व्यक्तियों को प्राथमिकता दिया जायेगा।

(ग.) गैर सरकारी निदेशकों को भत्ता:- प्रत्येक बैठक के लिये **Rs. 4,000** (चार हजार रुपये) मात्र तथा मानदेय के रूप में तथा बैठक में आने-जाने हेतु राज्य सरकार के अवर सचिव स्तर के पदाधिकारी के अनुरूप यात्रा भत्ता दिया जायेगा। विभाग के अनुमोदन से प्राधिकार द्वारा समय समय पर गैर सरकारी निदेशकों को देय मानदेय में वृद्धि किया जा सकेगा।

(घ.) गैर सरकारी निदेशकों को पद से हटाना या त्याग पत्र:-

- (i) यदि सरकार को यह समाधान हो जाता है कि किसी गैर-सरकारी निदेशक का कार्यालय में बने रहना प्राधिकार के हित में नहीं हैं, तो सरकार उसकी अवधि समाप्त करने का आदेश पारित कर सकेगी और तदोपरि, इस बात के होते हुए कि यह अवधि जिसके लिए वह मनोनीत किया गया था, समाप्त नहीं हुई है, प्राधिकार का सदस्य नहीं रहेंगे।
- (ii) प्राधिकार का कोई गैर सरकारी निदेशक, अध्यक्ष के नाम पत्र द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा और अध्यक्ष द्वारा उसके त्यागपत्र की स्वीकृति की तारीख से वह प्रभावी होगा।

(ङ.) निरर्हता:- कोई व्यक्ति गैर सरकारी निदेशक के रूप में निरर्हित होगा, यदि:-

- (i) वह ऐसे किसी अपराध, जिसमें सरकार की राय में नैतिक अक्षमता अब्दग्रस्त है, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है और कारावास से दण्डित किया गया है; या
- (ii) वह अनुन्मोचित दिवालिया है; या
- (iii) वह विकृतचित्त हो गया है; या
- (vi) वह सरकार या सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम की सेवा में नियोजित हो गया है; या
- (v) उसका स्वयं या किसी भागी, नियोजक या कर्मचारी द्वारा, प्राधिकार के द्वारा या की ओर से किसी संविदा या नियोजन में प्रत्यक्षतः कोई अंश या हित है।

6- प्राधिकार के उद्देश्य कर्तव्य एवं शक्तियाँ:-

(क.) यह प्राधिकार एक निगमित निकाय होगा जिसका शाश्वत उत्तराधिकार एवं सामान्य मुहर होगी, जिसे सम्पत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन करने और संविदा करने की शक्ति होगी और उक्त नाम से यह वाद ला सकेगी, या इसके विरुद्ध वाद लाया जा सकेगा।

(ख.) प्राधिकार अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत पर्यटन सुविधाओं का विकास, प्रबंधन एवं योजना तैयार करने तथा अपने स्वमित्व की भूमि के आवंटन, पट्टा-निष्पादन और ऐसा आवंटन, पट्टा रद्द करने तथा फीस, लगान, प्रभार वसूल करने इत्यादि और उससे संबंधित कार्यों के लिए उत्तरदायी होगा।

(ग.) पर्यटन से संबंधित सेवाएँ, यथा सूचना, आरक्षण, मार्गदर्शन, पार्किंग, प्रसाधन, पर्यटक स्थलों की सफाई, पर्यावरण उन्नयन प्रचार इत्यादि की व्यवस्था और अनुरक्षण करेगा।

(घ.) पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता और अवसंरचनात्मक सुविधाएँ बनाए रखने में स्थानीय निकायों की सहायता करेगा।

(ङ.) क्षेत्र के पर्यटन मूल्य/पर्यटन संभावना में वृद्धि के लिए उपवन, आमोद-प्रमोद केन्द्र, तम्बतमंजपवद बमदजमतद्धए फव्वारों या अन्य ऐसी सुख-सुविधाओं का निर्माण, प्रबंधन एवं अनुरक्षण करेगा।

(च.) पर्यटन के विभिन्न प्रक्षेत्रों और सम्बद्ध क्रिया-कलापों में लगे हुए उद्योगों के लिए विकासात्मक उपाय कर सकेगा।

(छ.) विभाग के साधारण पर्यवेक्षण और नियन्त्रण के अधीन, अपने क्षेत्र में निर्माण कार्य व सभी पर्यटन इकाईयों और सम्बद्ध क्रिया-कलापों के विस्तार, रख-रखाव और संचालन को ऐसी रीति से, जिससे पर्यटन क्रिया-कलाप पर्यावरणिक रूप से तथा सांस्कृतिक रूप से सतत रहें, विनियमित कर सकेगा।

(ज.) अपने क्षेत्र के लिए पर्यटन मास्टर-प्लान तैयार कर करेगा। पर्यटन संबंधी क्रिया-कलाप करने वाली सभी पर्यटन इकाईयाँ मास्टर प्लान का अनुपालन करेंगी। प्राधिकार, मास्टर प्लान का अनुपालन नहीं करने वाली इकाईयों में आवश्यक संशोधन करने अथवा बन्द करने का आदेश पारित कर सकेगा।

(झ.) अपने क्षेत्र की सड़कों, मकान की नालियों, भूमि और प्राधिकार की सम्पत्ति पर हुए अतिक्रमण को हटाने के प्रयोजनार्थ झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2000 की धारा 196, 197, 198, 199, 200, 201 और 202 में यथा विनिर्दिष्ट नगरपालिका के कमिश्नरों की शक्तियाँ प्राधिकार में होंगी;

(ञ.) विभाग या सरकार द्वारा समय-समय पर प्राधिकार को सौंपे जाने वाले कार्यों, दायित्वों का अनुपालन करेगा।

(ट.) राज्य सरकार समय-समय पर प्राधिकार को कोई ऐसा अन्य कार्य सौंप सकेगी जो पर्यटन स्थल और उसकी सुख-सुविधाओं के योजनाबद्ध विकास या अनुरक्षण तथा उससे संबंधित बातों से संबंध हो।

(ठ.) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा आवास, विद्यालय इत्यादि जैसी नागरिक एवं पर्यटक सुख-सुविधाओं के आयोजन, विकास और अनुरक्षण, अतिक्रमण हटाने आदि के लिए प्राधिकार या अध्यक्ष अथवा प्रबंध निदेशक में अन्य अधिनियमों के अधीन ऐसी शक्तियाँ निहित

कर सकेगी, जिनका इस संबंध में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन कोई स्थानीय प्राधिकार या कानूनी निकाय अथवा राज्य एजेंसी प्रयोग करती है।

(ड.) राज्य सरकार प्राधिकार के प्रयोजनार्थ अपेक्षित किसी भूमि का अर्जन कर सकेगी जो भू अर्जन अधिनियम के अधीन लोक प्रयोजन समझा जाएगा।

(ढ.) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंध के अनुसार विकास या उपयोग के प्रयोजनार्थ, झारखण्ड राज्य में निहित कोई विकसित या अविकसित भूमि प्राधिकार को सरकार द्वारा यथा निश्चित निबंधनों और शर्तों पर पट्टा विलेख द्वारा अंतरित कर सकेगी। यदि प्राधिकार के जिम्मे इस प्रकार दी गयी कोई भूमि किसी समय राज्य सरकार के लिए अपेक्षित हो तो प्राधिकार इसे राज्य सरकार को प्रत्यावर्तित कर देगा।

(ण.) प्राधिकार राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से राजपत्र में संकल्प प्रकाशित कर प्राधिकार के गठन के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए विनियम बना सकेगा।

7- प्राधिकार की बैठक:-

(क.) प्राधिकार की साधारण बैठक, त्रिमास में एक बार अध्यक्ष द्वारा नियत तिथि, समय और स्थान पर होगी।

(ख.) अध्यक्ष, जब कभी उचित समझें तो, विशेष बैठक बुला सकेंगे।

(ग.) प्राधिकार की प्रत्येक बैठक, अध्यक्ष और उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष और दोनों की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों के द्वारा चुने गए किसी अन्य सदस्य की अध्यक्षता में की जाएगी।

(घ.) प्राधिकार का सदस्य-सचिव बैठक के कम से कम चौबीस घंटे पूर्व, प्राधिकार के सभी सदस्यों की बैठक की कार्यसूची के साथ नोटिस उपलब्ध करवाएगा।

(ङ.) प्राधिकार के बैठक हेतु गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का 50 प्रतिशत होगा। यदि प्राधिकार के किसी सदस्य का पद रिक्त हो तो गणपूर्ति के लिए कुल सदस्य संख्या में इसको शामिल नहीं किया जायेगा।

(च.) प्राधिकार की बैठक की कार्यवाहियाँ, अध्यक्ष द्वारा अभिप्रमाणित की जाएगी और प्राधिकार के सदस्य-सचिव द्वारा संधारित की जाएगी।

8. प्राधिकार के अध्यक्ष की शक्तियाँ एवं कृत्य:-

(क.) प्राधिकार का अध्यक्ष प्राधिकार की बैठक की अध्यक्षता करने के अतिरिक्त प्राधिकार की ऐसी शक्तियों एवं कृत्यों का प्रयोग एवं निर्वहन करेंगे जो उन्हें प्राधिकार द्वारा प्रत्यायोजित किया जाए और वह वह यथाविहित शक्तियों का प्रयोग एवं कृत्यों का पालन करेगा। आपातकालीन परिस्थितियों में अध्यक्ष प्राधिकार के उद्देश्यों के आलोक में कोई भी निर्णय ले सकेगा लेकिन इस प्रकार के निर्णय पर प्राधिकार का विमर्शोपरांत अभिपुष्टि करा लिया जाएगा।

9- उपाध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक की शक्तियाँ एवं कृत्य:-

(क.) उपाध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक प्राधिकार के प्रति उत्तरदायी होगा;

(ख.) वह प्राधिकार के प्रशासी कामकाज तथा उनके लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आवश्यक कार्य करेगा;

(ग.) वह प्राधिकार के उद्देश्यों के अनुसार योजना कार्यान्वित करायेगा;

(घ.) वह प्राधिकार के स्थापना (मानव संस्थान) का प्रमुख होगा;

- (ड.) वह प्राधिकार का सामान्य बजट, लेखा अंकेक्षण हेतु उत्तरदायी होगा;
- (च.) वह प्राधिकार के कार्यालय के कार्यालय प्रधान होगा;
- (छ.) वह प्राधिकार द्वारा लिये गए निर्णयों/निदेशों के प्रवर्यान हेतु जिम्मेवार होगा;
- (ज.) वह प्राधिकार द्वारा समय-समय पर सौंपा गया अन्य कार्य करेगा;
- (झ.) वह ऐसी शक्तियों एवं कृत्यों का प्रयोग एवं निर्वहन करेगा जो उसे विहित किये जाय या अध्यक्ष द्वारा उसे प्रत्यायोजित किया जाए;

10- कार्यकारी निदेशक के कार्य:- प्राधिकार का कार्यकारी निदेशक अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के सामान्य मार्गदर्शन के अधीन अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगा:-

- (क.) प्राधिकार की ओर से सभी धन प्राप्त करेगा तथा उसके लिए रसीद देगा और उसका समुचित लेखा रखेगा;
- (ख.) प्राधिकार की निधि से वेतन और भत्तों के भुगतान तथा प्राधिकार के खर्चों को पूरा करने के लिए राशि निकालेगा;
- (ग.) प्राधिकार के किसी आदेश को अभिप्रमाणित कर सकेगा;
- (ड.) प्राधिकार का सदस्य सचिव भी होगा तथा तत्संबंधी समस्त कार्यों का निर्वहन करेगा।
- (च.) किसी भी अन्य ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो समय-समय पर प्राधिकार या राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे जायें।

11- प्राधिकार की निधियाँ:-

(क.) प्राधिकार की अपनी निधि होगी जिसमें निम्नांकित प्राप्तियाँ जमा की जाएँगी और प्राधिकार के सभी भुगतान उसमें से किए जाएँगे:-

- (i) प्राधिकार को राज्य सरकार से अनुदान, कर्ज और अग्रिम के रूप में या अन्यथा प्राप्त सभी धन;
- (ii) इस अधिनियम के अधीन, प्राधिकार द्वारा प्राप्त सम्पूर्ण फीस, लगान, प्रभार, उद्ग्रहण और जुर्माने;
- (iii) प्राधिकार द्वारा अपनी चल और अचल आस्तियों के निपटारे से प्राप्त सभी धन;
- (vi) प्राधिकार द्वारा विभागीय और अन्य संस्थाओं से कर्ज के रूप में और प्राधिकार के राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित किसी स्कीम या स्कीमों के निष्पादन के लिए, जारी किये गये ऋण-पत्रों (डिवेंचर) से प्राप्त सभी धन;
- (v) प्राधिकार गैर सरकारी स्रोत जैसे चंदा, गैर सरकारी ऋण आदि से भी निधि की प्राप्ति कर सकेगी;
- (vi) प्राधिकार सरकारी एवं गैर सरकारी स्रोत से प्राप्त आय का प्रबंधन वित्तीय नियमों के अनुसार कर सकेगी;
- (ख.) इस अधिसूचना के उपबन्धों के अध्याधीन, प्राधिकार को, प्राधिकार के सभी प्रशासनिक व्ययों और उद्देश्यों पर या इस अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत प्रयोजनों के लिए, ऐसी राशि जो वह उचित समझें, खर्च करने की शक्ति होगी और ऐसी राशि प्राधिकार की निधियों में से व्यय के रूप में मानी जाएगी।

(ग.) प्राधिकार के खाते में जमा समस्त राशि, जिसे उपरोक्त कंडिका - 11 में उपबन्ध के अनुसार तुरन्त उपयोजित न किया जा सकता हो, को पी.एल. खाता में जमा की जाएगी।

12- प्राधिकार के वित्तीय संसाधन:-

(क.) प्राधिकार अपने द्वारा उपलब्ध करायी गयी किन्हीं प्रत्यक्ष सेवाओं पर शुल्क प्रभारित कर सकेगा;

(ख.) केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, अर्ध-सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों तथा किसी अन्य स्रोत से दान या अनुदान प्राप्त कर सकेगा तथा किसी स्रोत से राज्य सरकार की पूर्वानुमति से उधार भी ले सकेगा।

13- बैंक खाते का संचालन:- राज्य सरकार के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से प्राधिकार को प्राप्त होने वाली सभी राशियाँ प्राधिकार के नाम से किसी भी सरकारी बैंक में चालू खाते में रखी जाएगी। इस खाते में जमा की गई राशि प्राधिकार की निधि होगी। अतः इसके व्यय की रीति भी वही होगी जो प्राधिकार के निधि के व्यय की रीति है। बैंक खाते का संचालन प्रबंध निदेशक एवं कार्यकारी निदेशक के संयुक्त हस्ताक्षर से की जाएगी।

14- प्राधिकार का पी.एल. खाता:- प्राधिकार का एक पी. एल. खाता होगा जिसमें राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान की राशि जमा किया जायेगा। इस खाते के संचालक प्रबंध निदेशक होंगे।

15- बजट, लेखा एवं अंकेक्षण:-

(क.) प्राधिकार प्रत्येक वर्ष आगामी वित्तीय वर्ष के लिए एक बजट पारित करेगा, जिसमें प्राधिकार के अनुमानित आमद-खर्च दिखाए जाएँगे, और उतनी प्रतियाँ राज्य सरकार को अग्रसारित करेगा जो नियमों द्वारा विहित हो और राज्य सरकार ऐसा निदेश जारी कर सकेगी, जो इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ समीचीन समझा जाय।

(ख.) प्राधिकार उचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख संधारित रखेगी तथा लाभ और हानि लेखा तुलनपत्र सहित लेखे का वार्षिक विवरण ऐसे प्रपत्र में, जैसा सरकार द्वारा विहित किया जाए, तैयार करेगा।

(ग.) प्राधिकार के लेखाओं का वार्षिक अंकेक्षण, झारखण्ड के वित्त विभाग के अंतर्गत आंतरिक अंकेक्षण प्रशाखा द्वारा किया जाएगा और उसके द्वारा ऐसे अंकेक्षण से संबंध किया गया कोई व्यय, प्राधिकार द्वारा झारखण्ड के वित्त विभाग के अंतर्गत आंतरिक अंकेक्षण प्रशाखा को भुगतान किया जाएगा।

(घ.) ऐसे अंकेक्षण के संबंध में, झारखण्ड सरकार के वित्त विभाग के अंतर्गत आंतरिक अंकेक्षण प्रशाखा के वही अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार होंगे, जैसे झारखण्ड के महालेखाकार को सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में हैं और विशेषतया प्राधिकार की पुस्तकों, लेखों सम्बद्ध अभिश्रवों, दस्तावेजों और कागजपत्रों को प्रस्तुत किये जाने की माँग का अधिकार होगा।

(ङ.) झारखण्ड के वित्त विभाग के अन्तर्गत आंतरिक अंकेक्षण प्रशाखा द्वारा यथा प्रमाणित, अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ प्राधिकार के लेखाएँ प्राधिकार द्वारा विभाग को वार्षिक रूप में अग्रसारित किए जाएंगे।

(च.) राज्य सरकार आदेश द्वारा प्राधिकार के लेखा से संबंधित किसी विशेष सम्बन्धित या वर्ग या सम्बन्धित या श्रृंखला की विशेष अवधि के लिए ऐसे व्यक्ति या अभिकरण द्वारा जैसा वह ठीक समझे, विशेष अंकेक्षण करवा सकेगी।

(छ.) जहाँ उक्त कण्डिका - 'च' के अधीन आदेश किया जाता है, प्राधिकार अंकेक्षण के लिए ऐसे लेखाएँ प्रस्तुत करेगी या करवाएगी और विशेष अंकेक्षण के लिए नियुक्त किए गए व्यक्ति या अभिकरण को ऐसी सूचना जैसी उक्त व्यक्ति या अभिकरण अंकेक्षण के प्रयोजन के लिए अपेक्षा करे।

16- प्राधिकार की स्थापना:- प्राधिकार की अपनी स्थापना होगी, जिसके लिए वह राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से विनियम बनाएगा। प्राधिकार के गठन के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने हेतु कार्यकारी निदेशक के अधीन पद सृजन व नियुक्ति का अधिकार होगा। इस प्रकार के पदों पर कार्यरत कर्मियों के वेतन आदि का भुगतान प्राधिकार द्वारा अपनी निधि से किया जायेगा। पद सृजन से पूर्व पद सृजन के प्रस्ताव पर प्राधिकार द्वारा विभाग से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा। अपने अधीन नियमित अथवा संविदा अथवा बाह्य श्रोत आधारित नियुक्ति हेतु प्राधिकार द्वारा नियुक्ति नियमावली गठित की जायेगी जिसपर विभाग से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।

17- प्राधिकार का प्रत्येक निदेशक तथा पदाधिकारी और कर्मचारी को भारतीय दंड संहिता की धारा - 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा।

18- राज्य सरकार द्वारा प्राधिकार को अनुदान:- आवश्यकतानुसार सरकार द्वारा प्राधिकार को इसके कार्यों/उद्देश्यों के लिए अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा। प्राधिकार को अनुदान हेतु विभागन्तर्गत राज्य स्कीम मद में आवश्यक राशि का उपबंध वार्षिक बजट में किया जायेगा।

19- शक्तियों का प्रत्यायोजन:-

(क.) विभिन्न प्रकार के कार्यों/व्यय हेतु अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, कार्यकारी निदेशक को प्रशासनिक व वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन प्राधिकार द्वारा किया जा सकेगा। यदि अध्यक्ष अथवा प्रबंध निदेशक अथवा कार्यकारी निदेशक को प्रशासनिक/वित्तीय शक्ति प्रत्यायोजित नहीं हो तो विशेष परिस्थिति/ आकस्मिक स्थिति में अध्यक्ष के अनुमोदन से कार्य/व्यय किया जा सकेगा। इस प्रकार के किये गये सभी कार्यों की विवरणी प्राधिकार की आगामी बैठक में अवलोकनार्थ व सम्पुष्टि हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

(ख.) प्राधिकार अपने कृत्यों और क्रिया-कलापों का, पालन करने के लिए, जैसा आवश्यक समझे, उपसमितियाँ, बना सकेगी है। उपसमितियों के कर्तव्य, कृत्य और पदावधि प्राधिकार द्वारा अवधारित किये जाएंगे। प्राधिकार अपने अधीन विशेष कार्य/कार्यों के कार्यान्वयन की जिम्मेवारी किसी सदस्य विशेष को दे सकेगा।

20. प्राधिकार का वार्षिक प्रतिवेदन:- प्राधिकार का सदस्य-सचिव, वित्तीय वर्ष के अवसान की तारीख से तीन मास के भीतर प्राधिकार के क्रिया-कलापों का वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेगा और उसकी एक प्रति विभाग को अग्रसारित करेगा।

21. प्राधिकार का प्रशासी विभाग:- पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड इस प्राधिकार का प्रशासी विभाग होगा।

22. प्राधिकार का अवक्रमण:-

(क.) यदि किसी भी समय राज्य सरकार की यह राय हो कि -

पण् किसी गंभीर आपातिक स्थिति के कारण प्राधिकार उस पर अधिरोपित कृत्यों एवं कर्तव्यों का निष्पादन करने में असमर्थ हो गया है; या

पपण् परिस्थितियाँ ऐसी हैं जिनके कारण लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है तो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्राधिकार को अवक्रमित कर सकेगी।

(ख.) प्राधिकार को अवक्रमित करने के लिए अधिसूचना प्रकाशित हो जाने पर प्राधिकार के सभी सदस्य प्राधिकार को अवक्रमित किये जाने की तारीख से अपना पद खाली कर देंगे।

(ग.) उप कंडिका - (घ) के अधीन प्राधिकार का पुर्नगठन किये जाने तक, इस अधिसूचना के उपबंधों द्वारा या प्राधिकार द्वारा उसकी ओर से प्रयोग की जानेवाली और निष्पादित किये जानेवाली सभी शक्तियों का एवं कृत्यों और कर्तव्यों का, राज्य सरकार द्वारा यथा निदेशित व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा प्रयोग और निष्पादित किया जा सकेगा।

(घ.) उप कंडिका - प के अधीन जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवक्रमण अवधि की समाप्ति पर राज्य सरकार;

पण् अवक्रमण की अवधि उतनी बढ़ा सकेगी जितनी वह आवश्यक समझे; या

पपण् अवक्रमण किये जाने के एक वर्ष के भीतर प्राधिकार का पुर्नगठन कर सकेगी ।

23. प्राधिकार का कार्यालय:- प्राधिकार का कार्यालय नेतरहाट में अवस्थित होगा ।

24. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार,
सरकार के सचिव ।
